Leh Autonomous Hill Development Council

919. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Leh Autonomous Hill Development Council has been created to grant the district the regional autonomy which was long over due;

(b) whether its implementation is entirely satisfactory;

(c) whether Government have a proposal to set up such a body for Kargil district and also an inter-district advisory council for this sensitive border region of Ladakh; and

(d) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SYED SIBTEY RAZI): (a) to (d) The Ladakh Autonomous Hill Development Councils Act was enacted on 9th May, 1995 which provides for the establishment of Autonomous Hill Development Councils in each district of the Ladakh region and an inter-district Advisory Council. Elections to the Council in district Leh have since been held and the Council has been constituted and commenced functioning. It cannot be indicated precisely as to the date by when a Council would be constituted in Kargil. The inter-district Advisory Council can be set up only after there are Councils in both districts.

पाकिस्तनी तीर्थ यात्रियों की भारत-यात्रा

920. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)पिछले चार वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने पाकिस्तानी मुस्लिम तीर्थ यात्री भारत आए थे,

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान कई वर्ष-वार कितने भारतीय तीर्थ यात्री पाकिस्तान गए,

(ग) क्या तीर्थ यात्रियों को आने-जाने की अनुमति देने के संबध में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता है,

(घ) इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या है, और

(ड.) क्या पाकिस्तानी उस समझौते का पालन कर रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1991 और 1992 के दौरान क्रमश: लगभग 715 और 710 पाकिस्तानी मुस्लिम तीर्थ यात्रियों ने भारत की यात्रा की । 1993 और 1994 में कोई भी पाकिस्तानी मुस्लिम तीर्थ यात्री भारत नहीं आया ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1991, 1992, 1993 और 5370 भारतीय तीर्थ यात्रियों ने पाकिस्तानी की यात्रा की ।

(ग)और (घ) भारत और पाकिस्तान के बीच तीर्थयात्रियों की यात्राएं धार्मिक स्थलों के दर्शनों से सम्बद्ध प्रोतोकोल 1974 से अधिशासित होती है । इस प्रोतोकोल के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है:

(i) तीर्थयात्रियों के जत्थों द्वारा एक-दूसरे के देश की यात्रियों की अनुमति किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय का भेदभाव किए बिना दी जाएगी । जिन तीर्थ स्थलों पर यात्रा की जानी है उनकी एक सूची पर सहमति हुई है । इस सहमत सूची का समय-समय पर विस्तार परस्पर सहमति द्वारा किया जा सकता है ।

(ii) अधिक से अधिक प्रति वर्ष 20 जत्थों को एक-दूसरे के देश की यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है । जत्थों की इस संख्या में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है ।

(iii) इस बात का सुनिश्चय करने के भरसक प्रयास जारी रहने चाहिए कि सहमत सूची में उल्लिखित पूजा स्थलों का उपयुक्त रूप से रख-रखाव किया जाए और उनकी पवित्रता अक्षुण्ण रखी जाए ।

(ड.) पाकिस्तान ने प्रोतोकोल के तहत अपनी सभी वचनबद्धताओं का अनुपालन नहीं किया है ।